"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 फरवरी 2007—माघ 17, शक 1928

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. धारा 57 की उपधारा (3) में शब्द "प्रत्येक आदेश" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक मूल आदेश" प्रतिस्थापित किये जाये.

2. धारा 57 की उपधारा (3) में (सिर्फ हिन्दी पाठ में) शब्द "संचालक द्वारा" के पश्चात् "कोई शक्ति" जोड़ा जाये.

पाद टिप्पण :- इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-7-7/2004/12, रायपुर, दिनांक 24-3-2006 के अधीन जारी पूर्व संशोधन के संबंध में.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक एफ-7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-7/2004/12, दिनांक 05-02-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 5th February 2007

NOTIFICATION

No. F-7-7/2004/12.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following further amendment in Chhattisgarh Mineral Rules, 1996, namely :-

AMENDMENT

In the said Rule,—

1. In sub rule (3) Rule 57 for the words "every order" the words "every original order" shall be substituted.
2. In sub rule (3) Rule 57 (only in Hindi version) after the words "sanchalak dwara" the words "Koi shakti" shall be added.

Foot-note :- Relating to previous amendment issued under the Department notification No. F-7-7/2004/12, Raipur dated 24-08-2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2007

शुद्धि पत्र

अधिसूचना क्र. एफ-7-7/2004/12.—दिनांक 24 अगस्त, 2006 के "छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण)" में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 (संशोधन) प्रकाशित किया गया है. अशुद्ध रूप में मुद्रित, निम्नलिखित सारणी में शब्द, अंक, वाक्य, मात्रा, विराम चिन्ह, कोष्ठक जो कॉलम सं. (4) में विनिर्दिष्ट है, के स्थान पर कॉलम संख्या (5) शुद्ध रूप में पढ़ा जावें.

सारणी

क्र. (1)	पृष्ठ क्रमांक (2)	पंक्ति क्र. (3)	अशुद्ध रूप (4)	शुद्ध रूप (5)
1.	2	13	छत्तीसगढ़ की होगी	छत्तीसगढ़ को होगी
2.	2	16	राज्य सरकार की होगी	राज्य सरकार को होगी
3.	2	18	अपीलनीय होगी	अपीलनीय होगा
4.	3	22	आदेश का	आदेश को
5.	3	25	आदेश का	आदेश की
6.	4	22	उपांततरित	उपांतरित

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.